न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला दतिया – R 3927-I/12

बाबूलाल पुत्र श्री गुन्दी,, निवासी ग्राम बडौनी खुर्द, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–दतिया .—— अनावेदक

<u>न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 139/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, मौजा पचारा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 154 रकवा 0.500 आरे, भूमि का व्यवस्थापन नियमानुसार नायब तहसीलदार, वृत्त बरगांय द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ–19/1995–96 द्वारा किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा अनावेदक द्वारा किसी भी समक्ष न्यायालय में कोई भी अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया था, अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार, वृत्त बरगांय का आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया था।

2– यहकि, कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा तहसीलदार, वृत्त बरगांय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया गया तथा अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 26/06–07 पंजीबद्ध किया जाकर, कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा आदेश दिनांक 26.12.2006 पारित कर तहसीलदार, वृत्त बरगांय के आदेश को अपास्त किया गया।

3– यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 176/ 07–08 प्रस्तुत किया गया। जो आयुक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.06.2010 से स्वीकार कर प्रकरण कलेक्टर, जिला दतिया को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे आवेदक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.3927-दो/2012 जिला-दतिया

बाबूलाल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27.08.19	उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रचलनशीलता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकनार्थ से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र (4) -3 कंडिका 30 के अधीन कलेक्टर, दतिया के प्रकरण क्रमांक 17/09-10/स्वमेव निगरानी पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । 2/ अपर आयुक्त 12.07.2008 को यह निष्कर्ष लेते हुए, म.प्र. भू- राजस्व संहिता1959 के संशोधित अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार निगरानी सुनने की अधिकारिता आयुक्त न्यायालय को नहीं है प्रस्तुत आवेदन इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने से यह निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। चूंकि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने के अधिकार आयुक्त को हैं इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा गुणदोषों पर निराकरण न करते हुए संशोधन अधिनियम 2011के प्रावधानों से प्रचलनशीलता पर निराकरण किया था । 3/ अत: प्रकरण अपर आयुक्त को पुन: क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाने से सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस भेजे जाए । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	